पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

योधन चौधरी

बनाम

बिहार राज्य और अन्य

2017 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं.- 9311

में

2023 की लेटर्स पेटेंट अपील सं.- 669

29 जुलाई, 2024

(माननीय मुख्य न्यायाधीश और माननीय न्यायमूर्ति श्री पार्थ सारथी)

हेडनोट्स

आवेदन- उस आदेश के खिलाफ दायर किया गया, जिसमें अपीलकर्ता द्वारा दाखिल रिट याचिका को खारिज कर दिया गया था। अपीलकर्ता को सेवानिवृत्ति के बाद का बकाया भुगतान नहीं किया गया था, जिसके कारण उन्होंने सभी आवश्यक कदम उठाने के बावजूद नो-ड्यूज सर्टिफिकेट प्राप्त करने में असमर्थ होने पर यह रिट दाखिल की।

निर्णय- उत्तरदाता और अपीलकर्ता के बीच स्वामी और सेवक का संबंध अपीलकर्ता की सेवानिवृत्ति पर समाप्त हो गया, और इसलिए अपीलकर्ता को देय पेंशन केवल विधि अनुसार ही रोकी जा सकती है। (पैरा 7)

नियम 43(बी) स्पष्ट रूप से प्रदान करता है कि यदि विभागीय कार्यवाही उस समय शुरू नहीं की गई थी जब सरकारी सेवक ड्यूटी पर था, तो ऐसी कार्यवाही केवल राज्य सरकार की अनुमति से ही शुरू की जाएगी और वह भी केवल उस घटना के संबंध में होगी जो ऐसी कार्यवाही शुरू होने से अधिकतम 4 वर्ष पहले हुई हो। वर्तमान मामले के तथ्यों के अनुसार, यह स्वीकार किया गया है कि अपीलकर्ता को उत्तरदाताओं की सेवा से सेवानिवृत्त हुए 8 वर्ष से अधिक हो चुके हैं और अब तक कोई विभागीय कार्यवाही शुरू नहीं की गई है। (पैरा 9)

नियम 43(बी) के अंतर्गत प्रदान की गई बाधा को ध्यान में रखते हुए, उत्तरदाता अब अपीलकर्ता के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने की स्थिति में नहीं हैं। न्यायालय की राय में, रिट याचिका में अपीलकर्ता द्वारा पूरी पेंशन, ग्रेच्युटी के बकाये, और अवकाश नकदीकरण आदि के भुगतान की प्रार्थना को स्वीकार किया जाना चाहिए। नियम 43(बी) की प्रक्रिया का पालन किए बिना पेंशन या अन्य सेवानिवृत्ति बकाये को रोका नहीं जा सकता। (पैरा 11)

अपील स्वीकार की जाती है।(पैरा 13)

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री अशोक कुमार सिंह, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं के लिए : श्री अजय, सरकारी अधिवक्ता-5

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: अमित मलिक, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2017 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं.- 9311

में

2023 की लेटर्स पेटेंट अपील सं.- 669

==========

योधन चौधरी, पिता- स्वर्गीय बियादर चौधरी, निवासी- गाँव- ढेलवा, थाना- रामकृष्ण नगर, जिला-पटना

.... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. प्रधान सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. संयुक्त निदेशक, योजना और विकास विभाग, बिहार, पटना।
3. मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियांत्रिकी संगठन, बेली रोड, पटना।
4. अधीक्षण अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियांत्रिकी संगठन, कार्य मंडल, मुंगेर।
5. कार्यकारी अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रभाग, मुंगेर।

....उत्तरदाता/ओं

==========

उपस्थितिः

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री अशोक कुमार सिंह, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं के लिए : श्री अजय, सरकारी अधिवक्ता-5

==========

कोरमः माननीय मुख्य न्यायाधीश

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री पार्थ सारथी

मौखिक निर्णय

(प्रतिः माननीय न्यायमूर्ति श्री पार्थ सारथी)

दिनांकः 29-07-2024

1. याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता और उत्तरदाता के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुना।

2. याचिकाकर्ता ने यह आवेदन दिनांक 5.4.2023 के उस आदेश के विरुद्ध दायर किया है जिसके तहत याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत रिट आवेदन (सीडब्ल्यूजेसी सं. 9311/2017) को खारिज कर दिया गया था।

3. याचिकाकर्ता का मामला संक्षेप में यह है कि याचिकाकर्ता द्वारा 2015 से ही अदेयता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कदम उठाए जाने के बावजूद, 31.1.2016 को ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार के अधीक्षण अभियंता के पद से सेवानिवृत्त होने और उत्तरदाता प्राधिकारियों के समक्ष उनके अभ्यावेदन के बावजूद, याचिकाकर्ता को अभी तक पूर्ण पेंशन, ग्रेच्युटी, अप्रयुक्त अवकाश नकदीकरण आदि सहित सेवानिवृत्ति के बाद के बकाया का भुगतान नहीं किया गया है, जिसके कारण याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित राहतों के लिए सी.डब्ल्यू.जे.सी. सं. 9311/2017 दायर किया है:

> *"(क) प्रतिवादियों को आदेश देने और निर्देश देने के लिए परमादेश की प्रकृति में रिट जारी करना कि वे याचिकाकर्ता को पूर्ण पेंशन, बकाया, ग्रेच्युटी और अप्रयुक्त छुट्टी का नकद भुगतान करें, जो 31.01.2016 को आर.डब्ल्यू.डी., बिहार, पटना से एस.ई. के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं।*
>
> *(ख) उत्तरदाताओं को आगे निर्देश दिया जाए कि वे सेवानिवृत्ति बकाया के पूरे बकाया का भुगतान करें जो संबंधित विभाग के साथ गणना चार्ट के अनुसार देय है। गणना चार्ट के साथ सिर के अनुसार।*
>
> *(ग) प्रतिवादियों को यह भी निर्देश दिया जाए कि वे वास्तविक भुगतान होने तक संपूर्ण बकाया राशि की प्रतिपूर्ति 12.05.2015 की दर से ब्याज के रूप में करें। साथ ही 8.5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और दंडात्मक ब्याज तथा 25,000 रुपये का मुकदमा खर्च दोषी अधिकारियों की जेब से वसूला जाए।*

3. उत्तरदाताओं का मामला यह है कि याचिकाकर्ता के दिनांक 31.1.2016 पर सेवानिवृत्त होने के बाद, कार्य मंडल के एल. ए. ई. ओ. के अधीक्षण अभियंता मुंगेर ने बिहार के ग्रामीण निर्माण विभाग के अवर सचिव को एक पत्र लिखा जिसमें कहा गया है कि लेखा बही जिसमें याचिकाकर्ता की नियुक्ति की अवधि के बिलों के बारे में विवरण शामिल हैं, वह गायब थी। इसे विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। चूँकि याचिकाकर्ता द्वारा इसकी विषय-वस्तु पर कोई प्रतिवाद नहीं किया गया था और न ही तत्कालीन कर्मचारी, अर्थात् मनोज कुमार, के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई थी, इसलिए विद्वान एकल न्यायाधीश ने माना कि उत्तरदाताओं द्वारा पूर्ण पेंशन, ग्रेच्युटी और अवकाश भत्ता जारी न करने का कारण केवल याचिकाकर्ता की निष्क्रियता थी और इस प्रकार रिट आवेदन को खारिज कर दिया।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि 31.1.2016 पर याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति पर, उत्तरदाताओं और याचिकाकर्ता के बीच स्वामी और सेवक का संबंध समाप्त हो गया और याचिकाकर्ता को उसकी सेवा अवधि के संबंध में किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए नहीं कहा जा सकता है। यह प्रस्तुत किया गया था कि उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया है कि उन्होंने कोई विभागीय कार्यवाही शुरू नहीं की है और उनके पास सेवानिवृत्ति के बाद बकाया का भुगतान नहीं करने का कोई कारण नहीं है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, वही न मिलने पर, याचिकाकर्ता ने राहत के लिए रिट आवेदन दायर किया, जिसे एकल न्यायाधीश द्वारा गलत तरीके से खारिज कर दिया गया था। इसलिए तत्काल अपील की जाती है।

5. रिट आवेदन में दायर जवाबी हलफनामे के संदर्भ में उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को पहले ही अनंतिम पेंशन का 90 प्रतिशत और ग्रेच्युटी की राशि का 90 प्रतिशत दिनांकित 17.11.2016 और 24.7.2018 पत्रों में निहित आदेशों

के अनुसार स्वीकृत किया जा चुका है। अधीक्षण अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियांत्रिकी संगठन, कार्य मंडल, मुंगेर के कार्यालय द्वारा जारी किए जाने वाले बकाया प्रमाण पत्र को प्रस्तुत न करने के कारण शेष 10 प्रतिशत राशि को मंजूरी नहीं दी गई है।

6. यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता के रूप में, बार-बार याद दिलाने के बावजूद, उसमें आवश्यक प्रविष्टि करने के बाद अपनी पोस्टिंग की खाता पुस्तिका उपलब्ध नहीं कराई गई और याचिकाकर्ता द्वारा उस पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप रूपए 24,10,837/बेनामी है, कोई बकाया प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा सका है। यह केवल याचिकाकर्ता है जो शेष राशि का उसे भुगतान नहीं किए जाने के लिए जिम्मेदार है।

7. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने और अभिलेख पर सामग्री का अध्ययन करने के बाद, जिन तथ्यों पर विवाद नहीं है, वे हैं कि याचिकाकर्ता ग्रामीण निर्माण विभाग, बिहार में अधीक्षण अभियंता के रूप में तैनात रहते हुए 31.1.2016 पर सेवानिवृत्त हुए और उनके खिलाफ आज तक कोई विभागीय कार्यवाही शुरू नहीं की गई है। उत्तरदाता और याचिकाकर्ता के बीच स्वामी और सेवक का संबंध 8 साल से अधिक समय पहले उनकी सेवानिवृत्ति पर समाप्त हो गया था, याचिकाकर्ता को देय पेंशन को केवल कानून के अनुसार ही रोका जा सकता था।

8. बिहार पेंशन नियम, 1950 का नियम 43 (बी) तैयार संदर्भ के लिए नीचे उद्धृत किया गया हैः-

> *"**43** [(ख) राज्य सरकार के पास पेंशन या उसके किसी भी हिस्से को, चाहे वह स्थायी रूप से हो या एक निर्दिष्ट अवधि के लिए, रोकने या वापस लेने का अधिकार और सरकार को हुए किसी भी आर्थिक नुकसान की पूरी या आंशिक पेंशन से वसूली का आदेश देने का अधिकार सुरक्षित है, यदि पेंशनभोगी विभागीय या न्यायिक कार्यवाही में गंभीर कदाचार का दोषी पाया जाता है; या सेवानिवृत्ति के बाद पुनर्नियोजन पर प्रदान की गई सेवा सहित*

अपनी सेवा के दौरान कदाचार या लापरवाही से सरकार को आर्थिक नुकसान पहुंचाता हैः

बशर्ते कि-

(क) ऐसी विभागीय कार्यवाही, यदि उस समय शुरू नहीं की गई थी जब सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति से पहले या पुनर्नियुक्ति के दौरान ड्यूटी पर था;

(i) राज्य सरकार की मंजूरी के अलावा दायर नहीं की जाएगी।

(ii) ऐसी घटना के संबंध में होगी जो ऐसी कार्यवाही की स्थापना से चार साल से अधिक पहले नहीं हुई थी; और

(iii) ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसे स्थान या स्थानों पर संचालित किया जाएगा जो राज्य सरकार निर्देशित करें और उन कार्यवाहियों पर लागू प्रक्रिया के अनुसार जिन पर सेवा से बर्खास्तगी का आदेश हो सकता है।

(ख) न्यायिक कार्यवाही, यदि उस समय शुरू नहीं की गई थी जब सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति से पहले या पुनर्नियुक्ति के दौरान कर्तव्य पर था, तो खंड (क) के उपखंड (ख) के अनुसार शुरू की गई होगी; और

(ग) अंतिम आदेश पारित करने से पहले बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।

***स्पष्टीकरण** - नियम के प्रयोजनों के लिए -*

(क) विभागीय कार्यवाही तब शुरू की गई मानी जाएगी जब पेंशनभोगी के खिलाफ बनाए गए आरोप उसे जारी किए जाते हैं या, यदि सरकारी कर्मचारी को ऐसी तारीख को पहले की तारीख से निलंबित कर दिया गया है; और

(ख) न्यायिक कार्यवाही शुरू की गई मानी जाएगीः-

(i) आपराधिक कार्यवाहियों के मामले में, जिस तारीख को शिकायत की जाती है या आरोप पत्र प्रस्तुत किया जाता है, उस तारीख को आपराधिक अदालत में; और

(ii) दीवानी कार्यवाहियों के मामले में, जिस तारीख को शिकायत प्रस्तुत की जाती है, या जैसा भी मामला हो, दीवानी अदालत में आवेदन किया जाता है।"

9. नियम 43 (बी) में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि यदि विभागीय कार्यवाही तब शुरू नहीं की गई थी जब सरकारी कर्मचारी कार्यरत था, तो यह केवल राज्य सरकार की मंजूरी पर शुरू की जाएगी और ऐसी घटना के संबंध में होगी जो ऐसी कार्यवाही शुरू होने से 4 साल से अधिक पहले नहीं हुई थी। जहाँ तक तत्काल मामले के तथ्यों का संबंध है, यह स्वीकार किया जाता है कि याचिकाकर्ता को 8 वर्षों से अधिक पहले 31.1.2016 पर उत्तरदाताओं की सेवा से सेवानिवृत्त कर दिया गया है और अब तक कोई विभागीय कार्यवाही शुरू नहीं की गई है।

10. **शम्भू शरण बनाम बिहार राज्य [2000 (1) पी. एल. जे. आर. 665]** के मामले में इस न्यायालय की एक पूर्ण पीठ ने माना कि जहां सेवानिवृत्ति से पहले कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई थी, नियम 43 (बी) में एक नई कार्यवाही शुरू करने के लिए संबंधित प्राधिकारी की शक्तियों पर कुछ सीमाएं थीं जो ऐसी शक्ति के किसी भी दुरुपयोग को रोकने के लिए थी। फैसले के कंडिका 8 का प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार हैः-

"8. ध्यान देने वाली दूसरी बात यह है कि नियम 43 (बी) में ऐसे मामले के बीच अंतर किया गया है जहां इस तरह की सेवानिवृत्ति के समय अनुशासनात्मक जांच पहले से ही लंबित है और जहां सेवानिवृत्ति के समय ऐसी कोई अनुशासनात्मक जांच लंबित नहीं है। कुछ सुरक्षा उपाय प्रदान किए गए हैं ताकि

सेवानिवृत्ति के बाद कोई अनुचित उत्पीड़न न हो, जब उनकी सेवानिवृत्ति से पहले कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई थी। भले ही ऐसी सेवानिवृत्ति के समय कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित नहीं है, लेकिन संबंधित सरकारी कर्मचारी के हितों की रक्षा के लिए खंड (i), (ii) और (iii) द्वारा अनुध्यात कुछ शर्तें लगाई गई हैं। सेवानिवृत्ति के बाद एक नई कार्यवाही शुरू करने के लिए संबंधित प्राधिकारी की शक्तियों पर कुछ सीमाएं, जहां ऐसी सेवानिवृत्ति से पहले ऐसी कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई थी, ऐसी शक्ति के किसी भी दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रदान की गई हैं। लेकिन इस तरह की सुरक्षा प्रदान करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है यदि उस सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के समय पहले से ही कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित है ..."

11. इस प्रकार के मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, उत्तरदाता अब याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने की स्थिति में नहीं हैं, नियम 43 (बी) के तहत प्रदान किए गए बार को देखते हुए, अदालत की राय में याचिकाकर्ता द्वारा पूर्ण पेंशन के भुगतान के लिए रिट आवेदन में की गई प्रार्थना के साथ-साथ ग्रेच्युटी और अप्रयुक्त अवकाश नकदीकरण आदि की बकाया राशि भी दी जानी चाहिए। जब तक नियम 43 (बी) के तहत कार्यवाही का पालन नहीं किया जाता है, तब तक पेंशन या अन्य सेवानिवृत्ति बकाया को नहीं रोका जा सकता है।

12. जैसा कि ऊपर कहा गया है, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट आवेदन को खारिज करने में गलती की और आदेश को अस्थिर होने के कारण इसके द्वारा दरकिनार कर दिया जाता है।

13. अपील की अनुमति है।

14. उत्तरदाता अर्थात प्रधान सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, बिहार, पटना और मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियांत्रिकी संगठन, बेली रोड, पटना इस आदेश की प्रति की प्राप्ति/प्रस्तुत करने की तारीख से 4 महीने की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता को गणना के साथ भुगतान किए जाने वाले सेवानिवृत्ति के बाद के बकाया का पूरा भुगतान करेंगे।

15. यदि राशि का भुगतान उपरोक्त अवधि के भीतर नहीं किया जाता है याचिकाकर्ता अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख से भुगतान की तारीख तक 5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से देय राशि पर ब्याज के साथ-साथ 10,000/रूपए के शुल्क का हकदार होगा।

(के. विनोद चंद्रन, मुख्य न्यायाधीश)

(पार्थ सारथी, न्यायमूर्ति)

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।